



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास व ₹2,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवां में पंजीकृत मु०अ०सं० 288/2011, धारा- 25 आमर्स एकट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त राकेश पुत्र बबू निवासी कुसमरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 04 वर्ष के कारावास व ₹2,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



DGC  
श्री राजेश कुमार शुक्ला



विवेचक- उ०नि०  
श्री पन्नालाल



पैरोकार- बिवां  
का० प्रेम सिंह